न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी: बीना महावर, आर0ए0एस0)

निगरानी संख्या 01/2017

विक्रमसिंह पुत्र तुहीराम जाति जाट उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम फतेहपुर भौट तहसील रूपवास जिला भरतपुर

.....निगरानीकर्ता

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जरिये तामील जिला कलक्टर, भरतपुर।
2. सरपंच, ग्राम पचायत फतेहपुर पंचायत समिति रूपवास जिला भरतपुर तामील जरिये हाल सचिव ग्राम पंचायत फतेहपुर पंचायत समिति रूपवास जिला भरतपुर।
3. मथुरा पुत्र शुल्पी जाति नाई निवासी ग्राम फतेहपुर तहसील रूपवास जिला भरतपुर।
4. हुकमसिंह पुत्र मथुराप्रसाद
5. मोहनसिंह पुत्र मथुराप्रसाद
6. चन्दरसिंह पुत्र मथुरा प्रसाद

} जातियान नाई निवासीयान ग्राम फतेहपुर तहसील रूपवास जिला भरतपुर

.....असल गैरनिगरानीकार

7. चेतराम पुत्र चन्दनसिंह
8. दाताराम पुत्र चन्दनसिंह
9. कुमरसैन पुत्र चन्दनसिंह
10. दीवानसिंह पुत्र तुहीराम
11. विक्रमसिंह पुत्र तुहीराम
12. समयसिंह पुत्र तुहीराम

} जातियान जाट निवासीयान ग्राम फतेहपुर तहसील रूपवास जिला भरतपुर

.....तरतीवी गैरनिगरानीकार

निगरानी खिलाफ आदेश दिनांक 20.11.2008 ग्राम पंचायत फतेहपुर पंचायत समिति रूपवास जिला भरतपुर।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

उपस्थित :– 1. श्री विजयसिंह कुन्तल, अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री संजयसिंह, अभिभाषक अप्रार्थी0
3. श्री महाराजसिंह, अभिभाषक अप्रार्थी0
4. राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक : 17.02.2021

निगरानीकर्ता ने यह निगरानी विरूद्ध गैरनिगरानीकार व खिलाफ आदेश ग्राम पंचायत फतेहपुर दिनांक 20.11.2008 बावत आराजी खसरा नम्बर पेश की गई है।

निगरानी दर्ज रजिस्टर कर गैरनिगरानीकार एवं तहत पत्रावली तलब की गई। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक निगरानीकर्ता ने अपने तर्को में निगरानी में अंकित कथनों को दोहराते हुये जाहिर किया कि प्रार्थी के निगरानीकर्ता एवं तरतीवी गैरनिगरानीकारान की कृषि भूमि खसरा नम्बर 589 रकवा 1 वीघा 2 विस्वा चाही सैरावी वाके ग्राम फतेहपुर है। निगरानीकार एवं गैर निगरानीकारान की उक्त नम्बर के आसपास आराजीयात है। इस खसरा नम्बर के दक्षिण दिशा में कृषि भूमियों के वीच 42 फुट चौडा रास्ता गांव से वंजी की ओर जा रहा है परन्तु गैर निगरानीकार संख्या 3 ने गैर निगरानीकार संख्या 2 से मिलकर गैरकानूनी तरीके से रास्ते की भूमि में से विना किसी अधिकार के आवादी का एलौटमेंट कराकर मा. रास्ते की भूमि में से विना किसी अधिकार के आवादी का एलौटमेंट कराकर मात्र रास्ते को 10 फुट छोडते हुये करीव 3000 वर्गफुट पर अतिक्रमण कर मकान वना लिया है। उन्होने यह भी जाहिर किया कि रास्ते के इस निर्माण के समय निगरानीकर्ता व तरतीवी गैर निगरानीकारान ने गैर निगरानीकार संख्या 3 से कहा था कि तुम रास्ते में मकान क्यों वना रहे हो, इससे रास्ता बहुत सकरा हो जायेगा जिसके कारण वडे वाहनों के आवागमन में परेशानी होगी, तव उसने कहा कि यदि यह निर्माण गैरकानूनी हुआ तो तुरंत हटा लूंगा। निगरानीकार ने फरवरी 2017 में अतिक्रमण हटाने हेतु श्रीमान् जिला कलक्टर भरतपुर को एक प्रार्थना पत्र दिया था जो अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही हेतु तहसीलदार रूपवास को भेजा गया परन्तु अतिक्रमण नहीं हटाया गया। रास्ते, शमशान, पोखर, चौक आदि की भूमियों को कोई भी संस्था आवंटित

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

नहीं कर सकती है। उन्होने यह भी जाहिर किया कि गैर निगरानीकार संख्या 2 ने गैर निगरानीकार संख्या 3 को पट्टा देने से पूर्व किसी अडौसी–पडौसी, निगरानीकर्ता, तरतीवी गैर निगरानीकारान को कोई नोटिस या सूचना नहीं दी है, इसलिये आवंटन आदेश तारीखी 20.11.2008 मैन्टेविबल नहीं है। उन्होने यह भी जाहिर किया कि ग्राम पंचायत के आवंटन आदेश दिनांक 20.11.2008 के कार्यवाही रजिस्टर की नकल प्राप्त करने हेतु प्रार्थना दिया लेकिन ग्राम पंचायत ने नकल नही दी। निगरानीकर्ता को नकल थाना उच्चैन से मिली क्योकि निगरानीकर्ता ने गैर निगरानीकार संख्या 3 के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज कराई। निगरानीकर्ता को जानकारी होने से निगरानी अन्दर म्याद पेश की गई है। देरी का माफ करने के लिये दफा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र निगरानी के साथ अलग से पेश किया है। वकील निगरानीकर्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आर.आर.एल. 1984 पेज 938, डी.एन.जे. 1999 (2) पेज 672, डी.एन.जे. 2009(1) पेज 262, डी.एन.जे. 1999(2) पेज 672 कानूनी नजीरें पेश की। अन्त में वकील निगरानीकर्ता ने निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत का आदेश निरस्त फरमाने की प्रार्थना की है।

अभिभाषक गैरनिगरानीकार ने जाहिर किया कि ग्राम पंचायत फतेहपुर पंचायत समिति रूपवास जिला भरतपुर के आदेश दिनांक 20.11.2008 के विरूद्ध यह निगरानी वर्ष 2017में प्रस्तुत की गई जो गम्भीर रूप से देरीना होने के कारण इसी बिन्दु पर खारिज किये जाने योग्य है। ग्राम पंचायत फतेहपुर ने आदेश दिनांक 20.11.2008 को आबादी भूमि का पट्टा नियम 157 राजस्थान पंचयत नियम 1996 के तहत गैरनिगरानीकार संख्या 3 के हम में विधिवत जारी किया है जिसके विरूद्ध निगरानीकर्ता को निगरानी करने का कोई अधिकार नहीं है। तथाकथित रास्ते में ग्राम पंचायत द्वारा 25–30 साल पहले 17–18 फुट चौडी सी.सी. सडक का निर्माण करा दिया है, मौके पर रास्ते की कोई भूमि शेष नहीं है। उन्होने यह भी जाहिर किया कि मौका रिपोर्ट पटवारी से यह स्पष्ट है कि गैर निगरानीकार का मकान बहुत पुराना है और यह भूमि के काम में कभी नहीं आई है तथा रास्ता मौके पर अलग से मौजूद है। निगरानीकर्ता के चाचा चेतराम ने नाजायज कब्जा करने की नीयत से गैर निगरानीकारान को उक्त मकान की जमीन में खण्डे आदि डलवा दिये थे जिन्हे पुलिस द्वारा हटवाये गये है इस प्रकार निगरानीकर्ता की नीयत खराब हो रही है। ग्राम पंचायत के आदेश की अपील धरा 61 राजस्थान पचायती राज अधिनियम में प्रावधान है कि ऐसी कोई अपील व निगरानी कतई

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

अन्दर म्याद आज नहीं की है। वकील गैर निगरानीकार ने अपने कथनों के समर्थन मे डी.एन.जे. 2012(2) राज. पेज 1022, डी.एन.जे. 2008 (2) राज. पेज 735, डी.एन.जे. 2009 (1) राज. पेज 410, डी.एन.जे. 2009(1) राज. पेज 194, डी.एन.जे. 2012(2) राज. पेज 602, डी.एन. जे. 2006(1) राज. पेज 164 कानूनी नजीरे पेश की। अन्त में अभिभाषक गैर निगरानीकार द्वारा निगरानी खारिज की जाकर ग्राम पंचायत का आदेश दिनांक 20.11.2008 यथावत रखे जाने का निवेदन किया गया।

हमने पत्रावली का अध्ययन किया गया। योग्य अभिभाषक उभयपक्षों के कथनों पर गौर किया। प्रस्तुत कानूनी नजीरों का अध्ययन किया गया। प्रथमतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम पर विचार किया गया। प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र का अवलोकन किया गया। अपील को अन्दर म्याद माना जाकर प्रकरण का मैरिट पर विचार किया गया। प्रकरण में निम्न बिन्दु तय किये जाने है। 1. क्या ग्राम पंचायत द्वारा आराजी खसरा नम्बर 589 रकवा 1 वीघा 2 विस्वा गैर मुमकिन रास्ते में से अप्रार्थी को मकान निर्माण हेतु आवासीय पट्टा संख्या 31 फैसला दिनांक 20.11.2008 जारी किया गया है? 2. क्या ग्राम पंचायत को गैर मुमकिन रास्ते में आवासीय पट्टा जारी करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है? 3. क्या निगरानी धारा 61 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत खारिज योग्य है? बिन्दु संख्या 1 व 2 के सम्बन्ध में पत्रावली मे उपलब्ध प्रतिलिपि आबादी भूमि मकान का पट्टा संख्या 31 में आराजी खसरा नम्बर का अंकन नहीं है। उक्त पट्टा मे हदूद अरबा एव नाप अंकित की हुई है। पट्टे के अवलोकन से यह स्पष्ट नहीं होता कि ग्राम पंचायत द्वारा आराजी खसरा नम्बर 588 गैरमुमकिन रास्ते की भूमि पर पट्टा जारी किया गया है। पत्रावली में उपलब्ध हल्का पटवारी की रिपोर्ट दिनांक 10.04.2017 का अवलोकन किया गया, उक्त मौका रिपोर्ट में अंकित है कि "..... खसरा नम्बर 588 के पास मे खसरा नम्बर 589 जो रास्ते से लगा हुआ है। खसरा नम्बर 588 मकान पुख्ता मथुरा प्रसाद पुत्र सुल्कीराम कौम नाई 42 फीट में पुख्ता बना हुआ है शेष 65 फीट ईधन बिटोरा (बाडा) बना रख है जिसमें ग्राम पंचायत फतेहपुर द्वारा आबादी भूमि मकान का पट्टा नियम 157 राज. पंचा. नियम 1996 के तहत ग्राम पंचायत मिसिल संख्या 31 पट्टा संख्या 31 फैसला दिनांक 20.11.2008 ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया है।" बिन्दु संख्या 3 के सम्बन्ध में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 61 का अध्ययन किया गया। धारा 61 में–हैडिंग पंचायतों के आदेश विरूद्ध अपीले–के दूसरे पैरा

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

में अंकित है कि– ".....पंचायत के किसी आदेश अथवा निदेश से व्यथित (aggrived) व्यक्ति द्वारा उसके विरूद्ध अपील सम्बन्धित पंचायत समिति में की जा सकती है। ऐसी अपील की सुनवाई उस पंचायत समिति की प्रशासनिक समिति द्वारा की जावेगी और उसका विनिश्चय पंचायत समिति का विनिश्चय समझा जावेगा। इस प्रकार ग्राम पंचायत के किसी आदेश के विरूद्ध राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धार 61 में अपील किये जाने के प्रावधानों का उल्लेख है। ....." यहां यह भी उल्लेखनीय है कि जहां पंचायत का कोई आदेश अपील योग्य है तो उसके विरूद्ध अपील ही होगी न कि रिवीजन....."। इस प्रकार यह निगरानी चलने योग्य नहीं रहने से काबिल खारिज के रहती है।

अतः आदेश है कि:–

उपरोक्त विवेचनानुसार निगरानीकर्ता की निगरानी खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति ग्राम पंचायत फतेहपुर को भिजवावें।

निर्णय आज दिनांक 17.02.2021 को सुनाया गया।

(बीना महावर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)